राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प. 1(1)चिस्वा/2/2020

जयपुर दिनांकः 1.10.2020

समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान।

विषय : ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड–19 के संक्रमितों को आवश्यकता के आधार पर HRCT जांच उपलब्ध करवाने के संबंध में ।

कोविड–19 से होने वाली मृत्युओं को न्यूनतम किये जाने के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि कोविड–19 के संदिग्ध मरीजों की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान हो सके, इस हेतु राज्य में कोविड–19 के मरीजों की स्थिति की गंभीरता (Criticality) की जाँच हेतु HRCT जाँच की आवश्यकता है। यदि समय पर कोविड–19 मरीज की HRCT जांच करवाकर उसकी गंभीरता का आंकलन करते हुए उपचार किया जाता है तो कोविड–19 से होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी की जा सकती है।

यह उल्लेखनीय है कि राज्य के जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय चिकित्सालयों में HRCT जांच की सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित चिकित्सालयों पर कार्यरत चिकित्सकों को जांच करने पर **कोविड–19 के संदिग्ध मरीज की HRCT जांच की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसका औचित्यपूर्ण उल्लेख करते हुए ऐसे मरीज को जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालय जहाँ पर HRCT जांच की सुविधा उपलब्ध है, रैफर किया** जाएगा। ऐसे कोविड संदिग्ध मरीज को ऑक्सीजन सिलेण्डर युक्त रैफरल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराते हुए जिला मुख्यालय स्थित उक्त चिकित्सालय पर जाँच हेतु भेजा जावेगा।

उक्त मरीजों को रैफरल परिवहन एवं HRCT जांच सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावेगी।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज.।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज.।
7. मिशन निदेशक (एन.एच.एम.), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज.।
8. निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज.।
9. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.।
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.।
13. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राज.।
14. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राज.।
15. रक्षित पत्रावली।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव